

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:-277 / 2022 / 223 आर.टी.एक्ट (2022 / 277)



1. श्री नारायण पुत्र चौधू
2. गणेश नारायण पुत्र चौधू
3. रमेश पुत्र चौधू
समस्त जाति अहीर, निवासीयान ग्राम जयपुरियों का बास तहसील व जिला जयपुर।
4. गोपाल पुत्र मंगला
5. कालूराम पुत्र रामचंद्र
6. सीताराम सैनी पुत्र गणेश
7. गट्टू देवी पत्नी स्व० गणेश
8. पूजा पुत्री स्व० गणेश
9. ममता पुत्री स्व० गणेश
10. कृष्णा सैनी पुत्र गणेश
11. सुनील सैनी पुत्र मूलचंद
12. मंगली बेवा मूलचंद
13. मुकेश पुत्र मूलचंद
14. संतोष पुत्र रामचंद्र
15. सीताराम पुत्र रामचंद्र
16. मंजू सैनी पत्नी रुडमल
17. प्रहलाद पुत्र स्व० गणेश
18. कल्याण पुत्र स्व० गुल्ला
19. लालचंद पुत्र स्व० गुल्ला
समस्त जातियान माली, निवासीयान ग्राम जयपुरियों का बास तहसील व जिला जयपुर।

अपीलांत

बनाम

1. मैसर्स रिट्टी सिद्धी इन्फ्राप्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 201, उज्ज्वल अपार्टमेंट 4, भट्ट जी की बाड, उदयपुर राजस्थान जरिए प्रतिनिधि अशोक मेवाडा पुत्र लक्ष्मण लाल मेवाडा जाति मेवाडा निवासी 20 / 193, कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्रवण
3. मुकेश पुत्र कानाराम
4. रमेश पुत्र कानाराम
5. राकेश पुत्र कानाराम
6. विष्णु पुत्र कानाराम
7. गंगा देवी पत्नी कानाराम
8. पूजा पुत्री कानाराम
9. चौथमल पुत्र श्रवण
10. रामकरण पुत्र श्रवण
11. लल्लूराम पुत्र श्रवण
12. सुण्डा राम पुत्र श्रवण
13. सुरेश पुत्र बोदू राम
14. राजू पुत्र बोदू राम
15. मंगली देवी पत्नी बोदू राम
16. राजू लाल पुत्र घासीलाल
17. बिला पुत्री श्रवण

[Signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

18. कैलाश पुत्र छोटू
19. नाना देवी पुत्री भौरी लाल (फौत)
- 19/1 प्रहलाद पुत्र स्व० भौरी लाल
- 19/2 नन्दू पुत्र स्व० भौरी लाल
20. भोली देवी पुत्री भौरी लाल
21. भोली देवी पुत्री भौरी लाल (फौत)
- 21/1 राजू सैनी पुत्र पूरणमल सैनी
- 21/2 भीवाराम सैनी पुत्र पूरणमल सैनी
22. तारा देवी पुत्री भौरी लाल
23. गुलाब देवी पत्नी हनुमान सहाय
समस्त जाति माली निवासी ग्राम जयपुरियों का बास तहसील व जिला जयपुर।



24. गंगाराम पुत्र सुज्या
25. छोटी लाल पुत्र गोपाल
26. केसरलाल पुत्र कानाराम
27. दिनेश पुत्र कालूराम
28. ललीता पुत्रयी कालूराम
29. नारायणी पत्नी कालूराम
30. दामोदर प्रसार पुत्र कानाराम
31. रामनिवास पुत्र कानाराम
32. लल्लूराम पुत्र गंगाबक्ष
33. रामेश्वर पुत्र गंगाबक्ष
34. सुज्या पुत्र गंगाबक्ष
35. हनुमान सहाय पुत्र कजौड
36. मंगल पुत्र कजौड
37. सरजू देवी पत्नी कजौड
38. स्वरूपनारायण पुत्र चंदा
39. बिरदी चंद पुत्र कल्याण सहाय
40. लालचंद पुत्र कल्याण सहाय
41. रामस्वरूप पुत्र कल्याण सहाय
42. गणपतलाल पुत्र कल्याण सहाय
43. राधादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
44. अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण
45. जगदीश प्रसाद पुत्र नानूराम
46. हरि नारायण पुत्र नानू
समस्त जाति अहीर यादव निवासी ग्राम जयपुरियों का बास तहसील व जिला जयपुर।
47. लालाराम पुत्र चंदाराम
48. कैलाश चंद पुत्र चंदाराम
जाति जाट निवासी ग्राम जयपुरियों का बास, तहसील व जिला जयपुर।
49. राजू सैनी पुत्र बट्टी नारायण माली जाति माली निवासी प्लॉट नम्बर 4 भौमिया नगर
कालवाड रोड झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
50. विजया बैंक जरिए शाखा प्रबंधक शाखा, हाथोज तहसील व जिला जयपुर।
51. इलाहाबाद बैंक जरिए शाखा प्रबंधक शाखा, हाथोज तहसील व जिला जयपुर।
52. पंजाब नेशनल बैंक जरिए शाखा कालवाड रोड नियर बाईपास तहसील व जिला जयपुर।
53. इंडसइंड बैंक जरिए शाखा प्रबंधक शाखा, हाथोज तहसील व जिला जयपुर।
54. बैंक आफ बडौदा बैंक जरिए शाखा प्रबंधक शाखा, हाथोज तहसील व जिला जयपुर।
55. उप-पंजीयक अधिकारी तृतीय झोटवाडा जयपुर पंचायत समिति भवन झोटवाडा जयपुर।
56. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।

[Signature]
राजस्थान अमील प्राधिकारी
अजमेर

57. पूजा उर्फ पायल जगदीश नाबालिग जरिए संरक्षक तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
58. करण पुत्र जगदीश नाबालिग जरिए संरक्षक तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
59. सुरेश पुत्र मूलचंद, जाति माली, निघासी ग्राम जयपुरियों का बास, तहसील वाठीसा जयपुर।

रेस्पोंडेन्ट्स



अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम, राजस्व वाद संख्या 84/2020.

उपस्थित:-

1. श्री अनंत कुमावत, उमेश कुमार अभिभाषक, पुष्पेन्द्रसिंह नरुका, अभिभाषक अपीलांतस.
2. श्री सोहनपाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1.
3. श्री एन.के.जैन, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 7, 10, 13 से 15, 32 से 37, 39 से 46.
4. श्री अमन झंवर, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 9, 11, 12.
5. श्री विकास पाराशर एडवोकेट 55, 56.
6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 8, 16से 31,38, 47 से 54, 57 से 59 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:-20.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या 84/2020 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट/वादी नम्बर 1 के द्वारा खसरा नम्बर 10 से 17 व 19 से 26 जिसका कुल किता 16, रकबा 29.90 है 0 ग्राम जयपुरियों का बास की भूमि का तकासमा/विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष वाद संख्या 84/2020 दिनांक 03.11.2020 को दायर किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समुचित सुनवाई तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए तथा बिना सम्यक तामिल के जल्दबाजी में सुनवाई कर कुछ पेशी में ही प्रकरण को निर्णित कर दिया तथा कुछ प्रतिवादीगण की तामिल शेष रहते हुए भी दिनांक 15.11.2021 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई जो सरासर गैर कानूनी है। एवं तहसीलदार जयपुर को कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार करने को पत्र भिजवा दिया गया, तहसीलदार जयपुर द्वारा भी बिना सभी संबंधित पक्षकारों नोटिस-व सूचना के अपीलांतगण की अनुपस्थिति में नियम 20 के मैडेंटरी प्रावधानों की पालना नहीं कर कुर्रैजात रिपोर्ट बना कर दिनांक 20.12.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित कर दी गई, कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर वादी/रेस्पोंडेंट के पक्ष में दिनांक 22.12.2021 की प्रश्नगत अंतिम डिक्री व निर्णय पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांत ने उक्त अपील मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के आधारों पर दायर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.11.2021 निम्न आधारों पर सरासर विधिविरुद्ध व सम्यक सुनवाई का अभाव तथा तथ्यात्मक रूप

से गम्भीर त्रुटि पूर्ण होने से अपारत करने योग्य है। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या 84/2020 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोंडेंट संख्या 8, 16 से 31, 38, 47 से 54, 57 से 59 अनुपस्थित।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस/प्रार्थीगण की तामील बिना, उनकी अनुपस्थिति में पारित किए जाने के कारण पूर्व में इसकी जानकारी नहीं थी। सर्पप्रथम दिनांक 01.02.2022 को रेस्पोंडेंट संख्या 1 मैसर्स रिद्धी-सिद्धी इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा0लि0 के कर्मचारी व अन्य रेस्पोंडेंटस अपीलांटस के खसरा नम्बर 10 व 11 पर कदीमी कब्जे काशत की भूमि पर खड़ी सरसों, मटर, रंजका कासनी व टमाटर आदि की काशत को नष्ट करने व अपीलांटस को बेदखल करने के उद्देश्य से मौके पर आए व धमकी दी कि तुम अपना कब्जा हटा लो अन्यथा हम जवरन पुलिस इमदाद से तुम्हें बेदखल कर देंगे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बंटवारे में तुम्हारे कब्जे की भूमि हमें मिली है। उक्त जानकारी मिलने पर अपीलांटस ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष नकल निर्णय व डिक्री मय सम्पूर्ण पत्रावली प्राप्त करने के लिए आवेदन दिनांक 02.02.2022 को पेश किया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त कर, पढ़ने पर वास्तविकता का ज्ञान हुआ। नकल प्राप्त होने पर अन्य अपीलांटस से सलाह-मशवरा कर अपने अभिभाषक शिवसिंह चौधरी से सम्पर्क दिनांक 04.02.2022 को किया। तब उन्होंने सलाह दी कि प्राथमिक डिक्री की नकल लावें। यदि डिक्री नहीं बनी है तो निर्णय की एक प्रतिलिपि ले कर न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक डिक्री बनाए जाने हेतु पेश करे। आज नकल निर्णय दिनांक 15.11.2021 की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर यह अपील उक्त निर्णय की जानकारी होने के दिन से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।
5. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादी संख्या 1/रेस्पोंडेंट संख्या 1 मै.रिद्धी सिद्धी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा लि.ने एक वाद 84/2020 भूमि विभाजन/तकासमा व-स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53 एवं 188 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष दिनांक 5.11.2020 को खसरा नम्बर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुल किता 16 रकबा 29.90 हैक्टर कुल खाता संख्या 9 ग्राम जयपुरियों का बास पटवार हल्का सिरसी, भू अभिलेख निरीक्षक जयपुर पश्चिम तहसील व जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी ने वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण सहित कुल 68 रिकार्डेड सहकाशतकार अंकित किए हैं। तथा वादी ने प्रतिवादी के रूप में सभी रिकार्डेड सहकाशतकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। जैसे खसरा नम्बर 10 की जमाबंदी में क्रम संख्या 11 व खाता संख्या 26 में क्रम संख्या 8 पर प्रभाती देवी पत्नी श्रवण, हिस्सा 1/120 जाति माली को जो रिकार्डेड सहखातेदार है उसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अन्य कई भूधारक वाद में जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया तथा ऐसे ही कुछ ऐसे व्यक्तियों को पक्षकारान बना लिया जो मृत है तथा जो रिकार्डेड खातेदार नहीं है अतः प्रश्नगत आधार पर प्रश्नगत निर्णय/डिक्री दिनांक 15.11.2021 व 22.12.2021 विधिक रूप से सभी रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकारान नहीं बनाने से तथा वाद में कुछ को गलत पक्षकार बनाया गया जिसे स्वयं वादी ने वाद में दिनांक 22.12.2021 को आदेश 1 नियम 10(2) व आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया है। प्रस्तुत मामले में सभी सहकाशतकारों को पक्षकार नहीं बनाने तथा कुछ पक्षकारों को वाद में गलत पक्षकार बनाने की जब वादी को





जानकारी हुई तो उसने अधीनस्थ न्यायालय के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया जो कि प्रकरण के निर्णय पारित होने की दिनांक को आदेश 1 नियम 10 (2), आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र को जिनके अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब व ब्रह्म के स्वीकार कर लिया जो कि विधिक रूप से करने से कतई स्वीकार योग्य नहीं था। धारा 53(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार वादी मैसर्स रिद्धि सिद्धि इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि.ने प्रश्नगत भूमि जो अलग-अलग 9 खातों की थी तथा जिनके कुछ रिकार्डेड खातेदार काश्तकार भी अलग अलग हैं जो कि इन खसराओं की जमाबंदी के अवलोकन से बखूबी साबित होता है जिसे वादी ने न्यायालय से उक्त तथ्य को छिपा कर न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से महज खसरा नम्बर 10 लगायत 17 व 19 लगायत 26 अंकित कर एक ही वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया जो कि कानूनी दृष्टि से संधारण योग्य नहीं है। एक से अधिक जोतों के अलग-अलग खातेदार होने के बावजूद भी उन सभी 9 खातों के विभाजन के लिए एक ही वाद 84/2020 दायर कर धारा 53(2) 5 के कानूनी मेंडेटरी प्रावधानों का सुस्पष्ट उल्लंघन किए जाने से कानूनन वादी का वाद पत्र संधारण योग्य ही नहीं था। उदाहरण स्वरूप इन सभी 9 खातों सभी सहकाश्तकार समान नहीं है जैसे खाता संख्या 66 खसरा नम्बर 10 में कुल खातेदार 29 अंकित जबकि खाता संख्या 42 में खसरा न. 12 की जमाबंदी में 28 खातेदार है इसी प्रकार खसरा न. 13 में कुल 30 खातेदार तथा खाता संख्या 26 में खसरा न. 14, 16 में कुल खातेदार 28 है, खाता संख्या 41 में खसरा न. 15 में कुल 29 खातेदार है तथा खाता संख्या 27 में खसरा नम्बर 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 में कुल 17 खातेदार है खाता संख्या 50 खसरा न. 24 में कुल 27 खातेदार है तथा खाता संख्या 64 के खसरा न. 26 में कुल 26 खातेदार है अतः मोटे रूप में प्रत्येक खाता में खातेदारी की संख्या समान नहीं है जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (5) की समान खातेदारी के होने की शर्त को पूर्ण नहीं करने पर इन 9 खातों की जमीन के लिए एक ही वाद दायर होना मेंडेटरी रूप से अनुज्ञेय नहीं है तथा हर खाता में समान अर्थात् एक से खातेदार भी नहीं है जैसे खाता सं 66 के खसरा नम्बर 10 की खातेदारों की सूची का खाता 42 के खसरा न. 12 से मिलान करने पर खसरा न. 12 अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति यादव, राधा देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण, रामस्वरूप पुत्र-कल्याण सहाय खसरा न. 10 में नाम दर्ज नहीं है ऐसे खातेदारों को समान होना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में प्रतिवादीगण 8,9,12 से 19, 21 से 24, 26, 28 से 36, 42, 49 को सुनवाई का नोटिस दिए बिना सम्मन व नोटिस तामिल करवाए तथा बिना सुनवाई व जवाब प्रस्तुत करने व साक्ष्य को अवसर प्रदान किए बिना ही महज वादी को अनुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रतिकूल अपीलार्थी गण की अनुपस्थिति में वाद वास्ते तामिल प्रतिवादीगण नियत रहते हुए भी जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.12.2020 व दिनांक 20.04.2021 से साबित है फिर भी दिनांक 15.11.2021 को वादी का वाद प्राथमिक डिक्री कर दिया। वादी ने एक सोची समझी साजिश के तहत व मनमाफिक व एकपक्षीय डिक्री प्राप्त करने के उद्देश्य से अपीलांत गण तक वाद के सम्मन व नोटिस तामिल नहीं होने दिए, तथा तामिल कुनिंदा को नाजायज लाभ पहुंचा कर उससे फर्जी तामिली रिपोर्ट बनाई गई जो कि जांच का विषय है। अपीलांतगण को वाद के सम्मन व नोटिस कभी भी तामिल नहीं हुए न ही प्रश्नगत वाद की विचाराधीन होने के समय कोई जानकारी प्राप्त हुई जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सम्यक जांच के, एकपक्षीय व जल्दबाजी में आदेशिका दिनांक 21.12.2020 कुछ अपीलांतगण की तामिल मानकर बहुत बड़ी तथ्यात्मक भूल की हैं। जिसकी गलती का बहुत बड़ा खमियाजा अपीलांत गण को एक पक्षीय डिक्री के रूप में भुगतना पड रहा है। बोम्बे हाईकोर्ट ने 30 मई 2022 को पारित निर्णय में प्रतिवादी के स्थान पर उसकी पत्नी को तामिल को सही नहीं मानकर अस्वीकार किया है। यह कि आदेश 5 व धारा 27, 28, सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल मामले में सम्मन जारी करने व उसकी

तामील बाबत है जिसमें मूलभूत उद्देश्य जिसके विरुद्ध आदेश पारित करना है उसे इस बाबत फेयर रूप से सूचित किया जावे तथा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिया जावे, इस हेतु प्रतिवादीगण को पुनः सम्मन जारी करने व अन्य कई तरीकों से भी सम्मन तामील करवाने के भी विस्तृत प्रावधान है तथा सीपीसी के आदेश 5 नियम 17,19,20 में वैकल्पिक तामील का भी प्रावधान दिया है जिसमें तामील हेतु स्थानीय अखबार में भी इस हेतु साया करवाने का भी प्रावधान है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में सीपीसी के उक्त प्रावधानों पर कतई ध्यान नहीं देकर अपीलांट की तामील करवाने हेतु इनमें से कोई भी प्रयास नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को उपस्थिति हेतु सूचित नहीं करने की सम्यक व पूर्ण प्रक्रिया की पालना नहीं कर कानूनी भूल की है। न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित होने से एक्सपार्टी/एकपक्षीय डिक्री होने से आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत विधिक रूप से अपास्त व निरस्तनीय भी है। प्रस्तुत मामले में बिना तनकी विरचित किए तथा संबंधित पक्षकारान की तामील नहीं होने के बावजूद भी वाद डिक्री किया है इसलिए अपीलीय राजस्व न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया जाना आवश्यक है उक्त सिद्धांत को राजस्व मंडल अजमेर ने अपने महत्वपूर्ण नवीनतम निर्णय 2022(1) आरआरटी 68 में प्रतिपादित किया है। उक्त प्रतिपादित सिद्धांत से अपीलांट के मामले में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की पूर्ण सुनवाई नहीं की गई तथा बिना तनकीया विरचित किए प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है अतः उक्त आधार पर प्रश्नगत निर्णय/डिक्री दिनांक 15.11.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या 84/2020 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का उदाहरण दिया है— 2022(1) आरआरटी 68, 2010 आरआरडी 737, आरआरटी 2021(2)एससी 1144, एआईआर 1978 एससी 597.



6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01से 7, 10 से 15, 32 से 37, 39 से 46 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि मुकदमे का प्रथम दृष्टया फेस व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अपील को समयवधि में दायर न करना एक घोर लापरवाही है जिसके कारण दूसरे पक्षकार को उसके हक से वंचित करना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। परिसीमा अवधि की धारा 5 का फायदा देने से पहले न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह अपील पेश करने में जो देरी हुई है उसका स्पष्टीकरण सही व विश्वास योग्य है उस पर मत अभिव्यक्त करना चाहिए। प्रस्तुत अपील में देरी से पेश करने के लिए अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे तात्विक तथ्य नहीं दिए, जिन्हे 'पर्याप्त हेतुक' कहा जा सके। प्रस्तुत अपील में देरी के पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है। अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस ने अपने समर्थन में 2007 डी.एन.जे. (सुप्रीम कोर्ट) पेज 367, आर.आर.डी. 1999 पेज 152, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 614, आर.आर.डी. 14.11.2008 पेज 716 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।
7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01से 7, 10 से 15, 32 से 37, 39 से 46 ने कथन किया कि राजस्व ग्राम जयपुरियों का बास, पटवार हल्का सिरसी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयपुर पश्चिम, तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 10 से 17 व 19 से 26 जिसका कुल किता 16, रकबा 29.90 हैक्टर स्थित है, जो वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी अनुसार

हिस्सों की खातेदार काश्तकार गैरर्स रिह्ती-शिह्ती इन्फ्राप्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 201 उज्जवल अपार्टमेंड 4 भट्ट जी की बाडी उदयपुर राजस्थान है जिसके बाबत समस्त कार्यवाही करने क लिए अधिकृत प्रतिनिधि आशोक मेवाडा पुत्र लक्ष्मण लाल मेवाडा, जाति मेवाडा निवासी 20/193, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर को नियुक्त किया हुआ है। जिन्हें समस्त कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। वादी व प्रतिवादीगण की अविभाजित संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि विवादग्रस्त आराजी है। जिस पर सभी पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है, तथा लगान राज्य सरकार को जमा कराते आ रहे है। विवादग्रस्त आराजी का विधि अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ है, तथा पक्षकारगण उक्त विवादग्रस्त आराजी पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसमें उपरोक्त सारणी में विर्णता अनुसार प्रतिवादी का हिस्सा व शेष हिस्सा वादीगण का रिकॉर्डेड खातेदार कानाराम, बोदुराम, कमला, प्रभाती व कालूराम का निधन हो गया है, इसलिए इनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहखातेदारान से विधिक विभाजन बाबत बातचीत की तो पूर्व में आश्वासन देते रहे की आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं है सहमति से विधिक विभाजन करवा लेंगे। लेकिन हाल की कुछ वादीगण वादग्रस्त आराजी क विशिष्ट भू-भाग पर अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी बसाना चाहते है। जिसके चलते दिनांक 28.10.2020 को वादीगण ने एक राय होकर मौके पर नीवं खुदवाना शुरू कर दिया है जिस पर प्रतिवादीगण के अधिकृत प्रतिनिधि के कहने पर अपनी लेबर को हटा दी लेकिन ऐलानिया धमकी दी की हम रातो-रात निर्माण कर प्लाटींग करेगे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते दिनांक 31.10.2020 को हरे पेड काटना शुरू कर दिए। जिससे वादीगण द्वारा दी गई धमकी से वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी को हक व अधिकार हासिल है कि वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाए कि प्रतिवादी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करे, प्रतिवादी को बेदखल नहीं करे, मौके पर कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करे, बेचान हस्तांतरण नहीं करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे। वादग्रस्त आराजी के खातेदारान द्वारा बैंक से कृषि ऋण भी प्राप्त कर रखा है इसलिए बैंक को जरिए पंजीयन अधिकारी जयपुर तृतीय मुकदमा बनाया गया है, उप पंजीयन अधिकारी जयपुर तृतीय क्षेत्राधिकार प्राप्त पंजीयन अधिकारी है तथा तहसीलदार विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार मुकदमा है, जिनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन यदि नोटिस के मियाद दो माह तक इंतजार किया गया तो वादीगण वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कर आवासीय कॉलोनी सृजित कर देंगे। इसलिए इनके विरुद्ध वादपत्र प्रकृति का होने से नोटिस की छूट प्रदान किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। नोटिस की छूट हेतु प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80(2) सीपीसी संलग्न वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये थे जिसमें कुछ प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा शेष प्रतिवादी बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 15.11.2021 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जो विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण के खिलाफ एक्स पार्टी किया गया है अपीलांट अपने हक व हिस्से से अधिक का उज्र नहीं उठाये जा सकते है। प्रतिवादी संख्या 17 माया पुत्री गणेश की मृत्यु हो गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत नाम जोड़ने व नाम हटाने अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी सपठित धारा 151 जा.दी. सपठित आदेश 22 नियम 4 जा.दी. को दिनांक 22.12.2022 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 17 माया, 30 ग्यारसी देवी, 53 से 56 क्रमशः सुनिल, सुरेश, मुकेश व 66 घीसी देवी का नाम हजफ किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 17 माया के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 76 व 77 के रूप में जरिये संरक्षक तहसीलदार, नियुक्त किया गया। उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित



Jhm
 राजस्थान अपील प्राधिकरण
 जयपुर



नहीं कि गई है। अपीलार्थी को तामिली के बिंदु पर एतराज था तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एतराज करना चाहिए था एवं उसके लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 जा0दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं गई है। अपीलार्थी ने आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को त्याग कर सीधा अपील की गई है एवं अपीलीय न्यायालय तामिली के बिंदु पर ना जाकर गुणावगुण पर ही आदेश होना चाहिए इस संबंध में 2007(2) आरएलडब्ल्यू(आरजे) पेज 1196 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अपीलार्थीगण के सम्मन पर तामिल कुनिंदा द्वारा लेने से इंकार कर खुले मकान पर चस्या की रिपोर्ट कि गई अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तामिल रिपोर्ट पर कोई आक्षेप नहीं किया ना ही आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि सम्मन पक्षकारान को सम्यक रूप से तामिल हो गए अथवा नहीं इस संबंध में आदेश 9 नियम 13 कि प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता है, तथा तामिल कुनिंदा व पक्षकारान के वयान भी लिए जाते है किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा संबंध तामिली के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति या उज्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण भूमि अलग-अलग खातों में अलग-अलग पक्षकारान के नाम दर्ज है खाता नम्बर 66, 8, 42, 28, 26, 16, 41 और 27 इन खातों में अवस्थित भूमि भू-प्रबंध सैटलमेंट विभाग, राजस्थान राज्य खतौनी बंदोबस्त-जमाबंदी में सम्वत 2015 में कुल किता 16, 118 बीघा 5 बिस्वा भूमि मंगला व गुल्ला पि.ठाकुर के नाम दर्ज रही तत्पश्चात मिसल से भगवान व चौथू 1/3 हिस्सा मंगला व गुल्ला 2/3 हिस्सा दर्ज है, सभी खातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 01 सहखातेदार के रूप में दर्ज है, अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क कि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सभी खातों के पक्षकार समान होने चाहिए इस संबंध में वकील रेस्पोंडेंट का तर्क है कि सभी खातों में रेस्पोंडेंट नम्बर 01 मैसर्स रिददी-सिद्दी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 सह खातेदार के रूप में दर्ज होकर हिस्सा रखता है, तथा उपरोक्त भूमि मूल रूप से मंगला व गुल्ला ठाकर से पक्षकारान को प्राप्त हुई है। मूल रूप से खाता संख्या 34 में कुल किता 16 रकबा 118 बीघा भूमि एक ही खाते में थी। वाद बाबत विभाजन है व वाद कारण भी एक ही है, वाद बाहुल्यता ना बढे इस कारण एक ही वाद प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का आगे यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादी संख्या 17 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माया पुत्री गणेश थी जबकि माया पुत्री गणेश का स्वर्गवास हो चुका था उसके पश्चात भी मृतक प्रतिवादीया के विरुद्ध आदेश प्रारित किया गया जो कि विधिनुसार शून्य नहीं है क्योंकि माया पुत्री गणेश का स्वर्गवास हो जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माया पुत्री गणेश का नाम हजफ किया गया इस आशय का नोट भी प्रतिवादीया संख्या 17 के आगे लगा हुआ है। वाद बाबत बंटवारा है जिसका किसी पक्षकार के मरने से उपशमन नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीया संख्या माया के नाबालिक वारिसान को जरिए तहसीलदार संरक्षक पूजा व करण को जरिए संरक्षक तहसीलदार जयपुर पक्षकार संयोजित किया गया है, इस संबंध में वकील अपीलार्थी का तर्क है कि गारजीयन एवं वार्डस एक्ट की धारा 7 के तहत माननीय डिस्ट्रीक्ट जज साहब के यहां नाबालिक की संरक्षक नियुक्ति के संबंध में कि कार्यवाही की जानी चाहिए थी का कथन भी गलत है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 32 में नाबालिक के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए है इस कारण गारजीयन एवं वार्डस एक्ट के वर्तमान प्रकरण में लागु नहीं होता है। सीपीसी के प्रावधान आदेश 32 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाबालिक के हितों की सुरक्षार्थ तहसीलदार जयपुर को संरक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलार्थी द्वारा अपने मिमों अपील में अथवा तर्कों में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया है कि अपीलार्थीगण को उससे उनके हिस्से में आने वाली जमीन से कम भूमि दी गई हो अथवा किसी अन्य पक्षकार को ज्यादा भूमि दी गई हो जबकि बटवारे के वाद कि प्राथमिक डिक्ली मुख्य रूप से यही देखा जाना होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के

- हरताक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।
8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन संतोपजनक एवं सदभाविक प्रतीत होने एवं न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अंदर मियाद शुमार की जाती है।
9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अभिभाषक अपीलांट का तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा हमें सम्यक रूप से नोटिस तामिल नहीं करवाए गए तामिल कुनिंदा द्वारा लेने से इंकार की रिपोर्ट गलत कर मकान पर चस्या किए गए इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामिल मान कर निर्णय व प्राथमिक डिफ्री पारित कर दी गई। जवाब में रेस्पोंडेंट अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि तामिल सम्यक रूप से कि गई है। यदि अपीलार्थी को तामिली के बिंदु पर एतराज था तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एतस्सज करना चाहिए था एवं आदेश 9 नियम 13 जा0दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए थी परंतु अपीलार्थी ने आदेश 9 नियम 13 के प्रावधानों को त्याग कर सीधा अपील की गई है एवं अपीलीय न्यायालय तामिली के बिंदु पर ना जाकर गुणावगुण पर आदेश होना चाहिए इस संबंध में वकील अपीलार्थी द्वारा 2007(2) आरएलडब्ल्यू(आरजे) पेज 1196 प्रस्तुत की उपरोक्त दोनो पक्षों कि तर्कों पर विचार किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के सम्मन पर तामिल कुनिंदा द्वारा लेने से इंकार कर खुले मकान पर चस्या की रिपोर्ट कि गई अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तामिल रिपोर्ट पर कोई आक्षेप नहीं किया ना ही आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सम्मन पक्षकारान को सम्यक रूप से तामिल हो गए अथवा नहीं इस संबंध में आदेश 9 नियम 13 कि प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता है, तथा तामिल कुनिंदा व पक्षकारान के बयान भी लिए जाते हैं, परंतु अपीलार्थीगण द्वारा संबंध तामिली के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में यदि पक्षकार सम्मन तामिली के संबंध में एतराज है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए यदि नहीं किया गया एवं सीधे ही प्रथम नियमित अपील प्रस्तुत कि गई है तो अपीलीय न्यायालय सम्मन तामिली के संबंध में गौर ना करके गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए इस कारण उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी के इस तर्क में बल नहीं पाते हैं। वकील अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलाधीन भूमि अलग-अलग खातों में अलग-अलग पक्षकारान के नाम दर्ज है खाता नम्बर 66, 8, 42, 28, 26, 16, 41 और 27 इन खातों में अवस्थित भूमि भू-प्रबंध सैटलमेंट विभाग, राजस्थान राज्य खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी में सम्वत 2015 में कुल किता-16, 118 बीघा 5 बिस्वा भूमि मंगला व गुल्ला पि. ठाकुर के नाम दर्ज रही तत्पश्चात मिसल से भगवान व चौथू 1/3 हिस्सा मंगला व गुल्ला 2/3 हिस्सा दर्ज है, सभी खातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 01 सहखातेदार के रूप में दर्ज है, अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क कि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सभी खातों के पक्षकार समान होने चाहिए इस संबंध में वकील रेस्पोंडेंट का तर्क है कि सभी खातों में रेस्पोंडेंट नम्बर 01 मैसर्स रिददी-सिद्धी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 सह खातेदार के रूप में दर्ज होकर हिस्सा रखता है, तथा उपरोक्त भूमि मूल रूप से मंगला व गुल्ला ठाकर से पक्षकारान को प्राप्त हुई है। मूल रूप से खाता संख्या 34 में कुल किता 16 रकबा



Signature
राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर

118 बीघा भूमि एक ही खाते में थी इस कारण यह नहीं माना जा सकता है कि पश्चातवर्ती अलग-अलग खाते कायम करने से पक्षकार अलग-अलग हो गए तथा रेस्पोंडेंट वादी भी सभी खातों में हिस्सेदार है तथा वाद बाबत विभाजन है व वाद कारण भी एक ही है, वाद बाहुल्यता ना बढे इस कारण एक ही वाद प्रस्तुत किया गया है, हम पत्रावली के अवलोकन एक तर्कों पर विचार करने से स्पष्ट है कि मूल रूप से उपरोक्त भूमि खाता नुम्बर 34 में खातेदार मंगला व गुल्ला से पक्षकारान को प्राप्त हुई है। रेस्पोंडेंट संख्या 01 वादी सभी खातों में सहहिस्सेदार होकर खातेदार है तथा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है इस कारण अपीलार्थी के इस तर्क में बल नहीं पाते हैं, तथा अपीलार्थी का आगे यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादी संख्या 17 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माया पुत्री गणेश थी जबकि माया पुत्री गणेश का स्वर्गवास हो चुका था उसके पश्चात भी मृतक प्रतिवादीया के विरुद्ध आदेश पारित किया गया जो कि विधिनुसार शून्य है। जवाब में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने यह कथन किया कि माया पुत्री गणेश का स्वर्गवास हो जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माया पुत्री गणेश का नाम हजफ किया गया इस आशय का नोट भी प्रतिवादीया संख्या 17 के आगे लगा हुआ है। वाद बाबत बंटवारा है जिसका किसी पक्षकार के मरने से उपशमन नहीं होता है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीया संख्या माया के नाबालिक वारिसान को जरिए तहसीलदार संरक्षक पूजा व करण को जरिए संरक्षक तहसीलदार जयपुर पक्षकार संयोजित किया गया है, इस संबंध में वकील अपीलार्थी का तर्क है कि गारजीयन एवं वार्डस एक्ट की धारा 7 के तहत माननीय डिस्ट्रीक्ट जज साहब के यहां नाबालिक की संरक्षक नियुक्ति के संबंध में कि कार्यवाही की जानी चाहिए थी जवाब में वकील रेस्पोंडेंट का कथन है कि न्यायिक प्रक्रिया में सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 32 में नाबालिक के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए है इस कारण गारजीयन एवं वार्डस एक्ट के वर्तमान प्रकरण में लागु नहीं होता है। सीपीसी के प्रावधान आदेश 32 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाबालिक के हितों की सुरक्षार्थ तहसीलदार जयपुर को संरक्षक नियुक्त किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीया संख्या 17 माया के विधिक वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिए संरक्षक तहसीलदार जयपुर के पक्षकार बनाया गया है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं कि गई है इस कारण वकील अपीलार्थी के इस तर्क में बल नहीं है, इसके अतिरिक्त वकील अपीलार्थी द्वारा अपने मिमों अपील में अथवा तर्कों में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया है कि अपीलार्थीगण को उससे उनके हिस्से में आने वाली जमीन से कम भूमि दी गई हो अथवा किसी अन्य पक्षकार को ज्यादा भूमि दी गई हो जबकि बटवारे के वाद कि प्राथमिक डिक्री मुख्य रूप से यही देखा जाना होता है कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से के अनुसार ही हिस्सा आवंटन किया जाना चाहिए इस प्रकरण में अपीलार्थीया द्वारा ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया गया।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) बसिलसिला मिसल संख्या 84/2020 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.11.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर